

## भारत में कशोर गर्भावस्था की रोकथाम

### प्रलम्बिस के लयि:

बाल ववाह, **NFHS-5**, **अवरुद्ध वकलस**, **उच्च शशु मृतयु दर**, **लैगकल असमानता**, **ASHA**, **मानसकल सवासथय**, **Bpl परवार**, **आयुषमान भारत**, **बाल ललगल अनुपात**, **अधकल उमर में ववाह** ।

### मेन्स के लयि:

बाल ववाह संबंधी मुद्दे, महिलाओं से संबंधतल मुद्दों के समाधान में शकलषा और सवासथय देखभाल सुवधाओं का महत्त्व ।

[सुरोत: डाउन टू अर्थ](#)

### चरचा में कयों?

टीन एज परेगनेंसी एंड मदरहुड इन इंडया: एक्सप्लोरगल स्टेटस एंड आईडेंटलफायगल प्रर्वलशन एंड मटलगलशन स्ट्रैटेजीज़ नामक अधययन में देश में कशोर गर्भावस्था से संबंधतल मौजूदा चुनौतयों पर प्रकाश डाला गया है ।

### भारत में कशोर गर्भावस्था के संबंध में अधययन के नषिकरष कया हैं?

- कशोर गर्भावस्था और बाल ववाह: भारत में कशोर गर्भावस्था, बाल ववाह और लैगकल असमानता से संबंधतल है ।
  - बाल ववाह की दर में गरलवट आई है (वर्ष 2005 के 47% से वर्ष 2020 में 24%) लेकनल कशोर गर्भधारण उच्च (6%) बना हुआ है, वशलषकर पश्चमल बंगाल, बहलर और राजस्थान जैसे राजयों में ।
- सामाजकल और आरथकल कारक: कशोरलवस्था में गर्भधारण के प्रमुख कारणों में गरीबी, सामाजकल मानदंड तथा प्रजनन शकलषा का अभाव शामिल है ।
  - कम उमर में ववाह को अकसर वतलतीय समाधान के रूप में देखा जाता है और दुलहनों पर जलदी माँ बनने का दबाव रहता है ।
- कषेत्रीय भननता: राषटरीय परवार सवासथय सर्वेकषण (NFHS)-5 (वर्ष 2019-21) में पाया गया कल 15-19 वर्ष की आयु की 6.8% महिलाएँ गर्भवती थीं या उन्होंने बच्चे को जन्म दया था, जनलमें पश्चमल बंगाल (16%) और बहलर (11%) में इसकी दर सबसे अधकल थी ।
- सहायता का अभाव और कलयाण में कमी : कशोर माताओं को कलक का सामना करना पडता है और इन्हें संस्थागत सहायता का अभाव होता है, जसके कारण इनके स्कूल छोडने से कम शकलषा के कारण गरीबी बनी रहती है ।
- कलयाणकारी योजनाओं में प्राय: आयु आधारतल पात्रता के कारण इन्हें शामिल न कयल जाने से इन्हें कम संसाधन मलल पाते हैं ।
- नीतगत अंतराल: प्रयासों के बावजूद, नीतगत बाधाएँ कशोर माताओं के लयल प्रभावी सेवाओं में बाधाक हैं ।
  - कशोर गर्भधारण को कम करने के उद्देशय से संचालतल कलयाणकारी कार्यक्रमों से वंचतल कयल जाने से उनकी सामाजकल-आरथकल स्थतल खराब हो जाती है ।

### कशोर गर्भावस्था के कया प्रभाव हैं?

- मातृ सवासथय जोखमल: कशोर माताओं को एनीमया, समय से पहले परसव और मातृ मरतयता का अधकल जोखमल रहता है ।
  - NFHS-5 के अनुसार, कई कशोर माताओं को आवश्यक सवासथय सेवाओं तक पहुँच प्रापत नहीं है, जससे जोखमल बढ जाता है ।
- बाल सवासथय और वृद्धरलध: कशोर माताओं से जन्मे बच्चों में साधारण से कम वज़न, वृद्धरलध और उच्च शशु मृतयु दर का खतरा अधकल होता है ।
  - अंतरराषटरीय खाद्य नीतल अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा कयल गए एक अधययन के अनुसार कशोर माताओं से जन्मे बच्चों में वृद्धरलध और साधारण से कम वज़न का प्रचलन 11% अधकल है ।
- सामाजकल परणाम: कशोरलवस्था में गर्भधारण से माता और बच्चे दोनों के लयल सवासथय संबंधी जोखमल उत्पन्न होते हैं, जैसे मातृ जटललताएँ और बाल कुपोषण, जबकल युवा माताओं के लयल आरथकल और शैकषकल अवसर गंभीर रूप से सीमतल हो जाते हैं ।
  - कशोर माताएँ प्राय: **स्कूल छोड देती हैं**, जससे उनके आरथकल अवसर सीमतल हो जाते हैं और गरीबी का चकर (अंतर-पीढीगत

गरीबी) जारी रहता है।

- वर्ष 2019 के आँकड़ों के अनुसार, कशोर कन्याओं में 55% अनपेक्षित गर्भधारण के परिणामस्वरूप गर्भपात होता है, जिनमें से कई नमिन और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) में असुरक्षित हैं।
- लैंगिक असमानता और हिसा: लैंगिक असमानता और पतिसत्तात्मक मानदंडों से कशोर माताओं का हाशियकरण होता है तथा वे अपने जीवन में सुधार लाने के अवसरों से वंचित हो जाती हैं।
  - बाल ववाह से घरेलू हिसा के मामले बढ़ते हैं और लैंगिक असमानता बढ़ती है। इसके साथ ही, इन प्रथाओं से युवा लड़कियों के अवसर सीमिति हो गए हैं।

## कशोर कालीन सगर्भता में कमी लाने, मातृत्व स्वास्थ्य और शक्ति के लिये क्या योजनाएँ हैं?

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): PMMVY के अंतर्गत 19 वर्षीय अथवा उससे अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए प्रदान किये जाते हैं, जिससे बेहतर मातृ स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा मिलता है।
  - आयु संबंधी यह अनविद्यता कशोरावस्था में गर्भधारण और बाल ववाह उनमूलन के प्रयासों को बल देती है।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY): JSY के तहत 19 वर्षीय और उससे अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं, वशिषकर ग्रामीण क्षेत्रों की, और आशा कार्यकर्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है।
  - कशोरावस्था में गर्भधारण और बाल ववाह को रोकने के लिये आयु मानदंड एक महत्त्वपूर्ण उपाय है।
- राष्ट्रीय कशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK): RKSK के अंतर्गत पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 से 19 वर्षीय कशोरों को लक्षित किया जाता है, जिससे कशोर स्वास्थ्य और अल्प आयु में ववाह से संबंधित मुद्दों का प्रत्यक्ष समाधान होता है।
- बालिका समृद्धियोजना: BSY, बीपीएल परिवारों को बालिका शक्ति के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। स्कूल में लड़कियों की पढ़ाई को लगातार बनाए रखना तथा जब तक शादी के लिये कानूनी रूप से बालिका नहीं हो जाती शादी न करने के लिये प्रोत्साहन करना, जिससे बालिकाओं की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार होता है।
- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (ICDS): ICDS छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य समबन्धी जाँच तथा स्कूल-पूर्व शिक्षा के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करती है।
- स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम: आयुष्मान भारत के तहत वर्ष 2020 में शुरू किया गया, यह 6-18 वर्ष की आयु के छात्रों के लिये कशोर स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसमें यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और स्वच्छता जागरूकता शामिल है।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इसका उद्देश्य लिंग आधारित चयन को रोकना तथा 18 वर्ष तक की लड़कियों की शिक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है, साथ ही शशि लगानुपात में सुधार एवं समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

## आगे की राह:

- शक्ति की भूमिका: वर्जनाओं को दूर करने और सुरक्षित प्रजनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये व्यापक प्रजनन शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये।
  - पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प जैसे कार्यक्रम, जो ववाह में देरी करने पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, को देश भर में लागू किया जाना चाहिये।
- सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समितियाँ बाल ववाह की नगिरानी और रोकथाम कर सकती हैं, तथा कशोर गर्भावस्था के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर सकती हैं।
  - कशोरों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के बारे में शिक्षित करने में माता-पिता, शिक्षकों, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी महत्त्वपूर्ण है।
  - बाल ववाह से नपिटने के लिये आशा, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस सखी जैसे स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - इस दृष्टिकोण का एक सफल उदाहरण असम में देखा गया है, जहाँ बाल ववाह से नपिटने के लिये स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रभावी ढंग से संगठित किया गया है।
- नीतितगत सफ़ारिशें: बाल ववाह को रोकने के लिये बाल ववाह नषिध अधिनियम 2006 जैसे कानूनों के प्रवर्तन को मज़बूत बनाना।
- उन्नत डेटा संग्रहण: कशोर गर्भधारण पर एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करना और लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने के लिये अनुदैर्घ्य अध्ययन आयोजित करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच और कशोर गर्भधारण को रोकने के लिये शिक्षा में कैसे सुधार कर सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

?????????:

प्रश्न. 'मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से-कौन सा/से सही है/हैं? (2019)

1. गर्भवती महिलाएँ तीन महीने की डिलीवरी से पहले और तीन महीने की डिलीवरी के बाद सवैतनिक छुट्टी की हकदार हैं।
2. क्रेच वाले उद्यमों में माँ को प्रतिदिन कम-से-कम छह बार शिशु गृहों में जाने की अनुमति होनी चाहिये।
3. दो बच्चों वाली महिलाओं को कम अधिकार प्राप्त हैं।

- (a) केवल 1 और 2  
(b) केवल 2  
(c) केवल 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

**??????:**

Q. भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2019)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/combating-adolescent-pregnancy-in-india>

